न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 86/ 2019 **दायर तारीख :– 19-09-2019**

1. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल जाति महाजन निवासी– डी–52, हाथी बापू मार्ग बनीपार्क जयपुर जरिए मुख्त्यार आम रामस्वरूप पुत्र दुर्गा सिंह जाति राजपूत निवासी चतरपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0)

— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित : श्री कान्तीचन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :–07.01.2021

1. संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य हैं कि प्रार्थी ने हाल सैटलमेंट की कार्यवाही के बाद वाकै ग्राम रामसिंहपुरा पटवार हल्का पालड़ी के हाल खसरा नम्बर 320 रकबा 1.65 हैक्टेयर मय दीगर आराजीयात के भूमि क्रय की है, जिस पर वह काबिज रहकर अपने नौकरों के जरिए काश्त करवाता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है। यह है कि हाल सैटलमेंट की कार्यवाही में भू–प्रबंध कर्मचारियों ने हाल खसरा नंबर 320 के रकबे 1.65 हैक्टेयर के अनुसार नक्शा ट्रेस नहीं बनाकर नक्शा छोटा बना दिया, जिसकी रकबा बरारी करने पर रकबा मात्र 0.60 हैक्टेयर ही बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त खसरा नंबर के रकबे में 1.05 हैक्टेयर की कमी कर दी, जो भू–प्रबंध के कर्मचारियों की त्रुटि होने के कारण काबिल दुरूस्ती है। यह है कि हाल खसरा नंबर 320 के पश्चिम में वन विभाग की जो मुड़डियाँ (पिलर्स) तथा हाल नक्शा ट्रेस में दर्शित हाल खसरा नंबर 320 का जो नक्शा ट्रेस बना रखा है, उसके मध्य खाली भूमि जो खरीद के समय तथा उससे पूर्व से प्रार्थी व साबिक खातेदार के कब्जे काश्त की भूमि चली आयी है, जिस पर वर्तमान मे प्रार्थी काबिज काश्त है तथा उसका उपयोग तथा उपभोग करता चला आ रहा है। यह है

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कि हाल भू–प्रबंध के कर्मचारियों की त्रुटि से उक्त भूमि जो वन विभाग की मुड़डियाँ (पिलर्स) तथा हाल नक्शा ट्रेस हाल खसरा नंबर 320 के मध्य स्थित भूमि जो हाल खसरा नंबर 320 का एक अभिन्न अंग है, को हाल खसरा नंबर 320 के नक्शा ट्रेस में शामिल नही करके जो त्रुटि कारित की है वह काबिल दुरूस्ती है इस प्रकार हाल खसरा नंबर 320 के नक्शा ट्रेस को बअनुसार कब्जा काश्त प्रार्थी के पश्चिम दिशा में बढ़ाया जाकर उसे बअनुसार रकबा 1.65 हैक्टेयर के दुरूस्त फरमाये जाने की आज्ञा प्रदान करें। अतः निवेदन है कि ग्राम रामसिंहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 320 रकबा 1.65 हैक्टेयर के नक्शा ट्रेस वर्तमान को पश्चिम दिशा में वन विभाग की मुड़डियाँ (पिलर्स) व हाल नक्शा ट्रेस खसरा नंबर 320 ग्राम रामसिंहपुरा के मध्य बकब्जे प्रार्थी की भूमि में बढ़ाया जाकर नक्शा ट्रेस का रकबा बरारी के अनुसार दुरूस्त फरमाये जाने का आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब सरकार पेश किया गया।
3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 4 संवत् 2071–2074, प्रमाणित नकल मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नंबर 320 ग्राम रामसिंहपुरा, प्रमाणित नकल नक्शा ट्रेस हाल खसरा नंबर 320, प्रमाणित नकल नक्शा ट्रेस साबिक खसरा नंबर ग्राम रामसिंहपुरा, पॉवर ऑफ अर्टानी आदि पेश किये गये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। कि प्रार्थी ने वाकै ग्राम रामसिंहपुरा पटवार हल्का पालड़ी के हाल खसरा नम्बर 320 रकबा 1.65 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। यह है यदि कि हाल सैटलमेंट की कार्यवाही में हाल खसरा नंबर 320 के रकबे 1.68 हैक्टेयर के अनुसार नक्शा ट्रेस नहीं बनाकर नक्शा छोटा बना दिया हो ओर जिसकी रकबा बरारी करने पर रकबा मात्र 0.60 हैक्टेयर ही बनता हो, तथा परिणाम स्वरूप उक्त खसरा नंबर के रकबे में 1.05 हैक्टेयर की कमी हुई हो, तो काबिल दुरूस्ती है। यह है कि यदि हाल सैटलमेंट में उक्त भूमि जो वन

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

विभाग की मुड़्डियाँ (पिलर्स) तथा हाल नक्शा ट्रेस हाल खसरा नंबर 320 के मध्य स्थित भूमि जो हाल खसरा नंबर 320 का एक अभिन्न अंग रहा हो और हाल खसरा नंबर 320 के नक्शा ट्रेस में शामिल नहीं किया गया हो तो वह काबिल दुरूस्ती है। प्रकरण में जवाब सरकार पेश किया गया है। जवाब सरकार में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 3 एवं बिन्दु संख्या 4 को स्वीकार किया गया है। **अतः** खसरा नम्बर 320 रकबा 1.65 हैक्टेयर के नक्शा ट्रेस रकबा बरारी के अनुसार दुरूस्त फरमाया जाना काबिल दुरूस्ती है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत न्यायालय हाजा को त्रुटि संशोधन की अधिकारिता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि हाल खसरा नंबर 320 के पश्चिम में वन विभाग की जो मुड्डियों(पिलर्स) तथा हाल नक्शा ट्रेस में दर्शित हाल खसरा नंबर 320 का जो नक्शा ट्रेस बना रखा है, उसके मध्य की खाली भूमि के रिकॉर्ड का परीक्षण कर नक्शे में हाल जमाबंदी में दर्ज खसरा नंबर 320 के रकबा 1.65 हैक्टेयर अनुसार दुरूस्ती करना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 07.01.2021 सुनाया गया।

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर(जयपुर)